राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश
लाल बारादरी भवन, लखनऊ– 226001
प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

आवेदन फार्म

सचिव,
राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0,
लाल बारादरी भवन, लखनऊ

महोदय,

निवेदन है कि मैं अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी के आयोजन हेतु अकादमी की आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मेरे द्वारा नियमावली का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर लिया गया है।

1. आवेदक का नाम...
2. पिता/पति/संरक्षक का नाम...
3. जन्म तिथि (प्रमाण संलग्न करें)...
4. स्थानीय पता ....
   ....
5. स्थाई पता ....
6. दूरभाष/मोबाइल नं. ....
7. शैक्षिक योग्यता ....
8. कला शिक्षा ....
9. किसी अन्य संस्थान से यदि कोई आर्थिक सहायता/अध्ययनवृत्ति प्राप्त हो रही हो, तो उसका विवरण ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

लाल बारादरी भवन, ललित कला अकादमी मार्ग, लखनऊ–226 001 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

4. प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में आर्थिक सहायता हेतु विज्ञापन किया जायेगा ।

चयन प्रक्रिया :

प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता के लिये अभ्यर्थी का चयन अकादमी की सक्षम स्तर से गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

धनराशि एवं भुगतान :

प्रदर्शनी आयोजन हेतु रू0 10,000/– की धनराशि प्रदान की जायेगी । उक्त धनराशि का भुगतान प्रदर्शनी आयोजन के पश्चात पन्द्रह दिन के भीतर प्रदर्शनी के निमंत्रण–पत्र, कैटलाग की पांच–पांच प्रतियां, समाचार पत्रों में प्रकाशित न्यूज की प्रेस कटिंग्स, आयोजन के छायाचित्र, प्रदर्शित कलाकृतियों की सूची एवं व्यय प्रपत्र प्रमाणित कर राज्य ललित कला अकादमी , उ0प्र0 के कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा ।

सामान्य नियम एवं शर्ते :

1. आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की तिथि से छः माह के अन्दर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. प्रदर्शनी के निमंत्रण–पत्र, कैटलाग, बैनर आदि पर **"राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक सहायता पर आयोजित"** /"With the financial assistance of the State Lalit Kala Akademi, Uttar Pradesh' का उल्लेख

होना अनिवार्य होगा।

1. प्रदर्शनी आयोजन की अवधि कम से कम तीन दिन होनी चाहिये ।
2. संदर्भित प्रदर्शनी में कम से कम 20 चित्र/ग्राफिक/रेखांकन अथवा 15 मूर्तियों को सम्मिलित किया जाना होगा।
3. आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की दशा में निर्धारित अवधि में प्रदर्शनी आयोजन किया जाना एवं प्रदर्शनी से सम्बन्धित निमंत्रण–पत्र, कैटलाग, प्रेस कटिंग्स व व्यय प्रपत्र अकादमी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
4. आवश्यकता पड़ने पर अकादमी के प्रशासन द्वारा अपने विवेकानुसार किसी नियम को शिथिल अथवा संशोधित किया जा सकता है।

***

राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश
लाल बारादरी भवन, लखनऊ– 226001

प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की नियमावली

राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 द्वारा कला के संवर्धन एवं विकास को दृष्टिगत करते हुये प्रदेश के नवोदित एवं युवा कलाकारों को प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के अन्तर्गत कलाकार द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन अकादमी परिसर में अथवा उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की संख्या एवं धनराशि अकादमी की कार्यकारिणी समिति द्वारा बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है । जिसे समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से प्रकाशित कराया जायेगा । जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी घोषित की जायेगी ।

उद्देश्य : उत्तर प्रदेश के नवोदित एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना ।

अर्हताः निम्नलिखित अर्हता वाले अभ्यर्थी दृश्य कला (चित्रकला, मूर्तिकला, रेखांकन, ग्राफिक फोटोग्राफी, व्यवहारिक कला) में सृजित कृतियों की प्रदर्शनी हेतु आर्थिक सहायता के लिये आवेदन करने हेतु अर्ह हैं–

1. जो ललित कला में न्यूनतम स्नातक की उपाधि प्राप्त हों ।
2. जो जन्म से उत्तर प्रदेश का निवासी हो अथवा उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निवास कर रहा हो।

आर्थिक सहायता की संख्या :

एक वित्तीय वर्ष में प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की संख्या 10 होगी ।

आवेदन प्रकिया :

1. प्रदर्शनी आयोजन के लिये आर्थिक सहायता हेतु आवेदन अकादमी द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप पर ही किया जाना होगा ।
2. आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपना जीवन परिचय एवं प्रदर्शनी में सम्मिलित की जाने वाली कम से कम छः कलाकृतियों के छायाचित्र जमा किये जाने होंगे ।
3. अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों में घोषणा किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी प्रदर्शनी आयोजन हेतु आर्थिक सहायता के लिये आवेदन प्रपत्र राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0,

सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0,

अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये उत्तर प्रदेश के कलाकारों से ललित कला में विशेष अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र अकादमी की संशोधित नियमावली के अनुसार आमंत्रित किये जाने हैं । आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी है –

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना है। (विज्ञापन हिन्दी के दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' एवं अंग्रेजी में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' अथवा आप द्वारा निर्देशित किसी अन्य लीडिंग समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जा सकता है।) ।
- विज्ञापन का प्रारूप, छात्रवृत्ति की नियमावली एवं आवेदन पत्र का प्रारूप अकादमी की वेबसाइड पर अपलोड कराया जाना ।
- प्रमुख स्थानीय कला संस्थाओं के सूचनापटो पर सूचना चस्पा कराया जाना ।
- प्रमुख कला संस्थाओं/ कला महाविद्यालयों में पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित किया जाना ।

विज्ञापन का प्रारूप एवं कला संस्थाओं/ महाविद्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र का आलेख पत्रावली में संलग्न है। कृपया इसे देखने/ संशोधित करने एवं उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये 01 जनवरी, 2020 से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें ।